न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 349/2021 तारीख रजू:– 09.09.2021

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. अतरसिंह पुत्र प्रभुसिंह जाति जाट निवासी हुक्मीखेडा, तहसील सूरौठ, जिला करौली ———————————————— सायल

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र शेरसिंह	जाति जाट
2. रमेश पुत्र राधेश्याम	निवासी हुक्मीखेडा,
3. पदमसिंह पुत्र राधेश्याम	तहसील सूरौठ
4. लालसिंह पुत्र राधेश्याम	जिला करौली राजस्थान ————गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री हरिबल्लभ चतुर्वेदी एडवोकेट सायल

2. श्री एस. एल. चौधरी एडवोकेट गैरसायलान

निर्णय

दिनांक :– 23/12/25

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायल ने प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि सायल ने गैरसायलान के विरुद्ध उक्त उनवानी दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा मजबूत आधारों के साथ पेश कर दिया है जिसमें सायल को सफलता मिलने की पूरी–पूरी संभावना है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 2057 रकवा 53 ऐयर नहरी 2 यम वांके तन ग्राम हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ स्थित है, सायल उक्त आराजी का तन्हा खातेदार टीनेन्ट है किसी दीगर व्यक्ति का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध या वास्ता नहीं है। उक्त आराजी के उत्तर में

सायल का तन्हा कुआ खसरा नम्बर 2055 रकवा 1 ऐयर, स्थित है, सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2056 रकवा 19 ऐयर स्थित है जिसमें सायल का 1/2 हिस्सा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि सायल की उक्त आराजी के पश्चिम में ढिंढोरा से हुक्मीखेडा के लिये जाने वाला रास्ता 2054 में स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड में करीब 8 मीटर चौडा है, जिसके पश्चिम दिशा में गैरसायलान की आराजी खसरा नम्बर 2053 रकवा 30 ऐयर बांके तन ग्राम हुक्मीखेडा स्थित है, गैरसायलान ने खसरा नम्बर 2053 में आवासीय प्रयोजन हेतु मकानात बना रखे है, तथा खसरा नम्बर 2054 गैरमुमकिन रास्ते पर पूरी तरह अतिक्रमण कर रखा है रास्ते की भूमि को दबाकर अब सायल की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2057 पर अतिक्रमण करना चाहते है। खसरा नम्बर 2057 से गैरसायलान का दूर दूर तक कोई सम्बन्ध या वास्ता नहीं है। उक्त आराजी व रास्ते की प्रशासन ने कई बार मौके पर नापतोल कर दी है, तथा रास्ते की भूमि में गैरसायलान की चढाई गई पाटौर को प्रशासन द्वारा हटवाया गया था लेकिन गैरसायलान झगडालू गिरोहबंद, व खूंखार किस्म के व्यक्ति है जो कानून की कोई परवाह नही करते है एवं, जबरन लठ्ठ व ताकत के बल पर सरकारी रास्ते की भूमि व पडोसियों की खातेदारी की भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करने की फिराक में रहते है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि कल दिनांक 24.08.2021 को सायल व उसका परिवार खाना खाकर अपने घर में सो गये, सुबह जागे तो देखा कि गैरसायलान ने रात–रात में सायल की आराजी खसरा नम्बर 2057 रकवा 53 ऐयर बांके तन ग्राम हुक्मीखेडा के पश्चिमी हिस्से में अतिक्रमण कर नींव भरना शुरू कर दिया सायल व उसके परिवारजन ने मौके पर जाकर देखा एवं गैरसायलान से उक्त गंदी हरकत करने से मना किया तो गैरसायलान झगडा करने पर आमादा हो गये, एवं उन्होंने ऐलानिया धमकी दी कि हम तुम्हारी जमीन पर जबरन मकान बनाकर रहेंगे और रास्ते की भूमि पर हम पहले से ही काबिज है, और रास्ता भी तुम्हारी जमीन में होकर निकालेंगें तथा तुम्हारी जमीन

लठ्ठ के बल पर छीनकर रहेंगे। सायल शांन्ति प्रिय व्यक्ति है तथा वृद्ध होने के कारण लडाई झगडों में विश्वास नहीं करता है, बार बार मना करने पर भी गैरसायलान अपनी बेझा हरकतों से बाज नहीं आ रहे है। इसलिये सायल को यह दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि प्राईमाफेसी केश, व सुविधा का संतूलन बखूबी सायल के पक्ष में साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान् को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि ये सायल की आराजी खसरा नम्बर 2057 रकवा 53 ऐयर बांके तन ग्राम हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ के उपयोग उपभोग, व कब्जेकाश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे, सायल की उक्त आराजी में अवैध अतिक्रमण का कब्जा नही करे तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे सायल के हक हकूक पर कोई विपरीत प्रभाव पडे, सायल को उसकी उक्त आराजी से बेदखल नहीं करे तथा सायल की उक्त आराजी में कोई अवैध निर्माण नहीं करे तथा दिनांक 24.08.2021 की रात्रि में अवैध रूप से नींव भरी गई उसे प्रशासन की मदद से अविलम्ब हटवाया जावे तथा खसरा नम्बर 2054 गैरमुमकिन रास्ता में प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को हटवाया जाकर ग्राम ढिंढोरा से हुक्मीखेडा का रास्ता खुलाशा करवाया जावे। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाऐ रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 04.10.2021 को गैरसायलान की ओर से श्री एस.एल. चौधरी एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 29.04.2022 को गैरसायलान की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 1 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 1 में दावा पेश होना स्वीकार है लेकिन सायल को सफलता मिलना कल्पना मात्र है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में दर्ज किया है कि दरख्वास्त का मद नम्बर 2 जिस प्रकार तहरीर दिया गया है स्वीकार नहीं है। खसरा नम्बर 2057 के अलावा खाता संख्या 4 में 9 खसरा नम्बर और दर्ज हैं। उक्त खाते में कुल 10 खसरा नम्बर दर्ज हैं जिनका कुल रकवा 4.53 हैक्टेयर है जो रिकार्ड जमाबन्दी से स्पष्ट है जिनका अंकन सायल ने दरख्वास्त में जानबूझकर नहीं किया गया है। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 3 में दर्ज खसरा नम्बर 2054 स्थित होना स्वीकार है जिस पर मौके पर पक्की सीसी सड़क बनी हुई है व मौके पर पश्चिम दिशा में गैरसायलान को सीमा पर पानी निकासी के लिये पक्की नाली बनी हुई है जिसमें होकर गांव का पानी निकलता है। सायल ने अपने खेत खसरा नम्बर 2057 की तरफ ग्राम पंचायत को पानी निकासी के लिये नाली निर्माण नहीं करने दिया व आम सड़क की भूमि पर अतिक्रमण करने के उद्देश्य से पक्की सड़क को दबाते हुये मौके पर मिट्टी की डोल जे.सी.बी. द्वारा बना रखी है जिससे आम रास्ते में अवरोध पैदा हो गया है। अन्य उज्रात मनगढ़न्त होने के कारण स्वीकार नहीं हैं। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 4 स्वीकार नहीं है। सायल के खेत खसरा नम्बर 2057 व गैरसायलान के आवासीय खेत खसरा नम्बर 2053 के मध्य आम रास्ता 2054 स्थित है जो आम रास्ता है जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मौके पर पक्की सीसी सड़क बना रखी है। गैरसायलान की तरफ मौके पर पक्की नाली पानी निकासी के लिये बना रखी है लेकिन सायल ने अपने खेत खसरा नम्बर 2057 की तरफ नाली का निर्माण नहीं करने दिया व जबरन पक्की सड़क को दबाते हुये मिट्टी की ऊंची डोल डलवा दी है जिससे पक्की सड़क की सीमा को दबा दिया है। बावजूद मना करने पर भी नहीं मान रहा है व नाली निर्माण को रोक रखा है। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है। दिनांक 29.08.2021 की कोई बातचीत

नहीं हुई। मुकदमा की पेशबन्दी के लिये झूठा दावा एवं प्रार्थना पत्र हाजा पेश की है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 5 में प्राइमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में साबित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में साबित है।

विशेष विवरण

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 6 में दर्ज किया है कि गैरसायलान की खातेदारी व आवासीय भूमि खसरा नम्बर 2053 रकवा 30 ऐयर गांव हुक्मीखेड़ा में स्थित है जिसमें गैरसायलान द्वारा मौके पर अपने आवासीय उद्देश्य के लिये पूर्व से ही पक्के मकानात बना रखे हैं जिससे सायल का कोई सम्बन्ध नहीं है। गैरसायलान के उत्तर में आम रास्ता खसरा नम्बर 2054 स्थित है जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व से ही मौके पर पक्की सीसी सड़क बनी हुई है व पानी निकासी के लिये गैरसायलान की सीमा पर होकर पक्की नाली बना रखी है। गैरसायलान की तरफ वाली नाली निर्माण करते समय सायल की सीमा खसरा नम्बर 2057 की तरफ खसरा नम्बर 2054 में होकर नाली निर्माण करने के लिये ग्राम पंचायत द्वारा प्रयास किया गया लेकिन सायल ने जबरन लैठ के बल से नाली निर्माण नहीं होने दिया व जबरन आम रास्ते की भूमि को दबाते हुये जे.सी.बी. से उंची मिट्टी की डौल डलवा दी है जिससे आम रास्ते में अवरोध पैदा हो गया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 7 में दर्ज किया है कि सायल द्वारा अपने दावे व दरख्वास्त हाजा में जानबूझकर अन्य सह–खातेदारान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है व खातेदारी में दर्ज खसरा नम्बरों का अंकन नहीं किया गया है। झूठा दावा एवं दरख्वास्त हाजा पेश कर दिया है जिसकी आड़ में जबरन आम रास्ते की भूमि को दबाने पर आमादा है। दावा एवं दरख्वास्त हर आयने खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र टी.आई. मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत मय खर्चा खारिज फरमाया जावे एवं हर्जा खास गैरसायलान को सायल से दिलाया जावे।

वकील सायल ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 किता 3, फोटो प्रति नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान पेश किये है।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 किता 3 पेश किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायल ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील सायल की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2057 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ की खातेदारी अतरसिंह पुत्र प्रभु जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2053 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ की खातेदारी राधेश्याम पुत्र शेरसिंह जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2054 रकबा 0.06 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ की खातेदारी जिम्मन नं01 सिवायचक सरकारी दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2057 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ का सायल एक मात्र खातेदार काश्तकार है। जिससे गैरसायलान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना साबित नहीं होता है। इस प्रकार सायल का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित होता है। ऐसी स्थिति में पक्षकारों के मध्य और विवाद नहीं बढे इसलिए गैरसायलान को उक्त विवादित आराजीयात के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 2057 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ के मौके की यथास्थिति बनाये रखें । पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 31.12.25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली